

दिनांक 31/12/24 को पेश है।

3 1/2 रुमाप उपन 1-0880 अकाशपर है। पत्रावली पूर्व भूदेसज्ञान
दि 16/12/24 को पेश है।

16 1/2024 पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में
बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में
अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान
पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं
पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्रामदानी ग्राम
सभा खोरा स्थित खसरा नं. 362 रकबा 1.67 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी
भूमि है। अतः प्रार्थीगण व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक
संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना
पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

प्रा0 पत्र 771/2023

निर्णय दिनांक

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया
जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम
ग्रामदानी ग्राम सभा खोरा तहसील नीमकाथाना स्थित खसरा नं. 362 रकबा
1.67 हैक्टेयर की प्रार्थीगण व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक
संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 06.06.2023 पत्थरगढ़ी की
जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की
कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी
हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)



महोदय,

प्रकार से